

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
 संख्या 20/2022 शीर्षक.....राज्य सरकार.....बनाम.....भतरलाल व अन्य.....

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	<p>24/10/2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/11/2024 को पेश हो।</p> <p>हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>	
	<p>28/11/2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/12/2024 को पेश हो।</p> <p>हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>	
	<p>26/12/2024 पत्रावली पेश हुई। जार्जी पेटोमाल सरकार उपाक्षित। अजार्जी संख्या 1, 2 व 4 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित। अजार्जी संख्या 03 की मूल्दु क्षेत्र के जार्जी पेटोमाल सरकार मामल मुकाम का जार्जीना-पु पेश करने के लिये समझ जाते हैं। समझ दिनांक 19/02/25 को पेश हो।</p>	
	<p>19/2/2025 पत्रावली पेश हुई। जार्जी पेटोमाल सरकार लक्ष्मीलाल देवगढ़ उपाक्षित, प्रतिवादी सं. 4 जीवा पाले बाळ चन्द इरु खय उपाक्षित, प्रतिवादी सं. 1-2-3 अनुपस्थित प्रतिवादी सं. 4 ने वर्तमान ममान खाम पाले रावत सं. 6 भा. 89 की नकल पेश कर विवेकन किया कि उक्त भा. 89 का बावजूद उपोन्नत रूपान करवा दिया गया है।</p>	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला रा

प्रकरण संख्या 20/2022

शीर्षक..... सरकार

बनाम अंतराला व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	
	<p>आतं! उपरोक्त भाग, 89 का आदेश पर प्रयो 0 20 पान्तरवा वारी जपु कर दिये जाने से उपरोक्त भाग, 89 पर राजस्व 20 राजस्व माही 1956 कि धारा 177 मुन्य व निपुणनी ली</p> <p>आतं! वरु अन्तराला धारा 177 स्वार्थ किया जाता है, पानाणी कैलक सुमार होकर नम्बर से कम होकर वारीक दक्तर हो निर्णय लरे अजलाक पुनसका गका</p>	

सहायक कलेक्टर
 देवगढ़, जिला-राजसमन्द